<u>अंतिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई</u>

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालतः–**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ** ब इजलास पीठासीन अधिकारीः–**श्रीमती प्रीति मीणा**

रामनाथ आ0 भूरा जाति बैरवॉ नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ

–वादी –

बनाम

1. दुर्गालाल पि0मु0 देव्या जाति बैरवॉ नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ।
2. मथरा पुत्री देव्या पत्नी रामनिवास जाति बैरवॉ नि0 उगेन तहसील नैनवॉ।
3. सोहनी पुत्री देव्या पत्नी बद्री जाति बैरवॉ नि0 जरखोदा तहसील नैनवॉ।
4. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
5. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।
6. शंकरलाल बैरवॉ आ0 गोपाल जाति बैरवॉ नि0 भाणोली तहसील दुनी जिला टोंक।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी एक्ट

वाद संख्याः–13/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....**हमारे**...............बहाजरी वादी के अभिभाषक ... .–... मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है किः–

ग्राम बाछोला की भूमि खसरा नम्बरान 170, 283, 292, 926 व 927 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5807 हैक्टयर भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है–

नाम ग्राम	खसरा नम्बर व रकबा	प्रस्तावित खातेदार अथवा वादी/प्रतिवादी का नाम मय हिस्सा सहित विवरण रकबा
बाछोला	खसरा नम्बर 170 रकबा 1.8283 हैक्टयर	दुर्गालाल पुत्र मु0 देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
		धापू पुत्री बक्षू कौम बैरवॉ हि0 1/3
		मथरा पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
		रामनाथ पुत्र भूरा कौम बैरवॉ हि0 1/15
		शंकर पुत्र गौपाल कौम बैरवॉ हि0 4/15
		सोहनी पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
बाछोला	खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4611 हैक्ट0 खसरा नम्बर 292 रकबा 0.1214 हैक्ट0 खसरा नम्बर 926 रकबा 0.0890 हैक्ट0 खसरा नम्बर 927 रकबा 0.0809 हैक्ट0	दुर्गालाल पुत्र मु0 देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9 धापू पुत्री बक्षू कौम बैरवॉ हि0 1/3 मथरा पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9 रामनाथ पुत्र भूरा कौम बैरवॉ हि0 1/3 सोहनी पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट ''क'' नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को डिकी पर्चा जारी हो।

........................चीज ....–..................... मुबलिग ....–............................ बाबत ....–.............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–.................................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....–... को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **18.08.2025** को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, नैनवां

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, नैनवां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–13 / 2021
GCMS NO:- 2021/12

दायर दिनांक: 11.01.2021
पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती प्रीति मीणा

रामनाथ आ0 भूरा जाति बैरवॉ नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ

–वादी –

बनाम

1. दुर्गालाल पि0मु0 देव्या जाति बैरवॉ नि0 बाछोला तहसील नैनवॉ।
2. मथरा पुत्री देव्या पत्नी रामनिवास जाति बैरवॉ नि0 उगेन तहसील नैनवॉ।
3. सोहनी पुत्री देव्या पत्नी बद्री जाति बैरवॉ नि0 जरखोदा तहसील नैनवॉ।
4. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
5. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।
6. शंकरलाल बैरवॉ आ0 गोपाल जाति बैरवॉ नि0 भाणोली तहसील दुनी जिला टोंक।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–
वादी की ओर से वकील श्री सीताराम नागर।
प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकोर।

निर्णय दिनांक–: 18.08.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बाछोला तहसील नैनवॉ मे भूमि खसरा नम्बर 170, 283, 292, 926, 927 कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा स्थित है जिसे आगे जाकर वाद पत्र मे विवादित भूमि के नाम से जाना जावेगा। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे मूल खातेदार भूरया व बक्ष पिसरान रामसुख थे, जो सगे भाई थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बक्ष के एक पुत्री धापू हुई थी जिसकी भी नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। भूरया के दो पुत्र वादी व देव्या उत्पन्न हुआ। देव्या की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके मथरा, सोहनी पुत्रियां उत्पन्न हुई व खानी बेवा वारिस हुई। खानी का देहावसान हो चुका है। देव्या के वर्तमान मे प्रतिवादी सोहनी व मथरा व दुर्गालाल प्रतिवादी ही वारिस है। दुर्गालाल को देव्या ने जाति के रिति रिवाद अनुसार गोद लिया था व रजिस्टर्ड गोदनामा भी लिखाया था जिसका नामान्तरकरण भी खुलकर जमाबंदी मे दर्ज है। रामनाथ वादी जीवित है। धापू का देहावसान होने से और कोई संतान नही होने व बचपन मे ही मृत्यु हो जाने से धापू के वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण ही है। इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे वादी का हिस्सा 1/2 एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है।

यह कि वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर धापू दुख्तर बक्ष एवं सोहनी, मथरा का नाम विलोपित किया जाकर भूमि का विभाजन किया जावे। तदनुसार जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व अन्य भूराजस्व अभिलेखों मे आवश्यक सशोधन किया जावे। विभाजित हिस्से पर वादी को आधिपत्य दिलवाया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को बलपूर्वक बेदखल कर स्वयं संपूर्ण भूमि पर कब्जा नही करें, भूमि को नष्ट भ्रष्ट नही करे एवं अन्य किसी प्रकार से वादी के हक व आधिपत्य मे कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। वादी अपने वाद के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी1 , नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 प्रदर्श पी2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी3, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2073–2074–2075 प्रदर्श पी4, नकल जमाबन्दी भूप्रबंधन संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श पी5, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2001–2002–2003–2004–2005 प्रदर्श पी6, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी7 तथा बयानों के शपथ–पत्र वादी रामनाथ बैरवॉ पीडब्ल्यू–1 तथा गवाह वादी शोनारायण बैरवॉ पीडब्ल्यू–2, गवाह वादी पांचूलाल बैरवॉ पीडब्ल्यू–3 पेश किये।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.11.2022 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में ग्राम बाछोला तहसील नैनवां की भूमि खसरा सं. 170, 292, 926, 927, 283 का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नैनवां से प्राप्त किया गया लेकिन अंतिम डिकी जारी होने से पूर्व ही वादी अधिवक्ता द्वारा खसरा नम्बर 170 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा मे से उसके हिस्से की 3 बीघा भूमि शंकरलाल बैरवॉ को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर देने से केता शंकरलाल बैरवॉ को पक्षकार बनाकर विभाजन की डिकी जारी करने हेतु जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया जाने पर वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसमे शंकरलाल प्रतिवादी संख्या

6 पर दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर द्वारा वकालातनामा पेश कर अंतिम डिक्री मे प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से मे नियमानुसार तरमीम की जाकर शेष वादी के हिस्से पर वादी की तरमीम करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके बाद पुनः संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिसकी पालना मे ग्राम बाछोला तहसील नैंनवां की भूमि खसरा सं. 170, 292, 926, 927, 283 का (खातेदार धापू पुत्री बक्षू लाऔलाद फौत बचपन मे होने से उसके वारिसान वादी/प्रतिवादी होने के कारण देव्या के वारिसान व रामनाथ के वारिसान के हिस्से बराबर सम्मिलित करने पर) हिस्सेवार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पेश किया गया जो निम्नानुसार है–

नाम ग्राम	खसरा नम्बर व रकबा	प्रस्तावित खातेदार अथवा वादी/प्रतिवादी का नाम मय हिस्सा सहित विवरण रकबा
बाछोला	खसरा नम्बर 170 रकबा 1.8283 हैक्टयर	दुर्गालाल पुत्र मु0 देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
		धापू पुत्री बक्षू कौम बैरवॉ हि0 1/3
		मथरा पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
		रामनाथ पुत्र भूरा कौम बैरवॉ हि0 1/15
		शंकर पुत्र गौपाल कौम बैरवॉ हि0 4/15
		सोहनी पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
बाछोला	खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4611 हैक्ट0 खसरा नम्बर 292 रकबा 0.1214 हैक्ट0 खसरा नम्बर 926 रकबा 0.0890 हैक्ट0 खसरा नम्बर 927 रकबा 0.0809 हैक्ट0	दुर्गालाल पुत्र मु0 देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9 धापू पुत्री बक्षू कौम बैरवॉ हि0 1/3 मथरा पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9 रामनाथ पुत्र भूरा कौम बैरवॉ हि0 1/3 सोहनी पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम बाछोला तहसील नैंनवां की भूमि खसरा सं. 170, 283, 292, 926 व 927 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5807 हैक्टयर भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है–

नाम ग्राम	खसरा नम्बर व रकबा	प्रस्तावित खातेदार अथवा वादी/प्रतिवादी का नाम मय हिस्सा सहित विवरण रकबा
बाछोला	खसरा नम्बर 170 रकबा 1.8283 हैक्टयर	दुर्गालाल पुत्र मु0 देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
		धापू पुत्री बक्षू कौम बैरवॉ हि0 1/3
		मथरा पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
		रामनाथ पुत्र भूरा कौम बैरवॉ हि0 1/15
		शंकर पुत्र गौपाल कौम बैरवॉ हि0 4/15
		सोहनी पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9
बाछोला	खसरा नम्बर 283 रकबा 0.4611 हैक्ट0 खसरा नम्बर 292 रकबा 0.1214 हैक्ट0 खसरा नम्बर 926 रकबा 0.0890 हैक्ट0 खसरा नम्बर 927 रकबा 0.0809 हैक्ट0	दुर्गालाल पुत्र मु0 देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9 धापू पुत्री बक्षू कौम बैरवॉ हि0 1/3 मथरा पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9 रामनाथ पुत्र भूरा कौम बैरवॉ हि0 1/3 सोहनी पुत्री देव्या कौम बैरवॉ हि0 1/9

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट ''क'' नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। निर्णय आज दिनांक 18.8.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ

परिशिष्ट-क

कृषि जोतों का विभाजन प्रस्ताव

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21, कृषि जोतों का विभाजन

वाद संख्या 13 / 2021 उनवान रामनाथ बनाम दुर्गालाल

नजरी नक्शा मौका

उत्तर

↑

दक्षिण

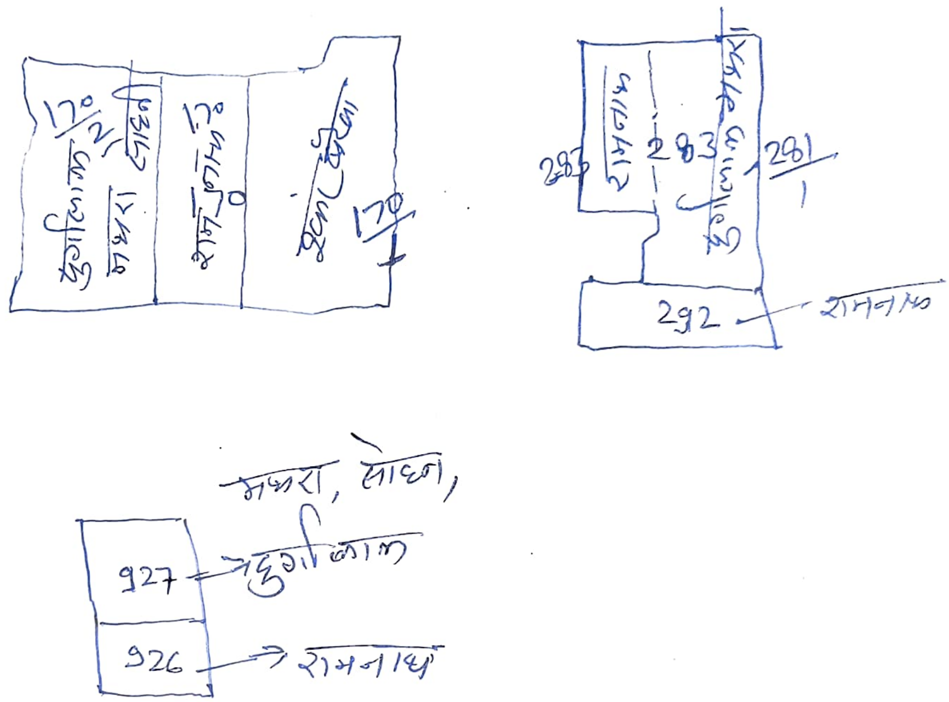

शंकर
(शंकर आ० गोपाल)
बैरवा

दुर्गालाल
(दुर्गालाल आ० देवा)
बैरवा

नि. रामनाथ

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू.अभिलेख निरीक्षक

तहसीलदार